कार्यालय आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
E-mail - commissionercanesugar@gmail.com

पत्रांक : 1234/C/ख-क्रय अनुभाग/ग0आ0नी0/2025-26 /दिनांक 12 सितम्बर, 2025

सहायक गन्ना आयुक्त,
ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून।

विषय :- पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ने की आपूर्ति एवं सट्टा नीति।

समस्त उपलब्ध सुसंगत तथ्यों का संज्ञान लेते हुए कृषक हित में सम्यक् विचारोपरान्त **पेराई सत्र 2025-26** के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति निम्नवत जारी की जा रही है :-

1. चीनी मिलों के लिये गन्ने की आवश्यकता :-

चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता का निर्धारण उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-12 के अन्तर्गत पृथक से किया जायेगा। चीनी मिलों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, गन्ना उपलब्धता एवं चीनी मिल की पेराई क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित आवश्यकता की पूर्ति हेतु गत वर्ष के सापेक्ष गन्ने के ड्राल को अधिक से अधिक बढ़ायें एवं न्यूनतम 60 से 70 प्रतिशत गन्ने का ड्राल प्राप्त करें।

2. नये सदस्यों की भर्ती/सदस्य सूची का संशोधन :-

I. प्रत्येक समिति में सदस्य कृषकों की भूमि का राजस्व अभिलेखों के आधार पर नवीनतम प्रमाणिक विवरण अनिवार्य रूप से रखा जायेगा तथा वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तनों का संशोधन करके इसे अद्यावधिक किया जायेगा।

II. गन्ने का सट्टा केवल उन्हीं कृषक सदस्यों का किया जायेगा, जो गन्ना समिति/मिल समिति के विधिवत सदस्य हों तथा जिनके पास राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि हो तथा इसमें गन्ने की फसल की बुवाई की गई हो।

III. कृषक की समिति अभिलेखों में दर्ज कृषि योग्य भूमि एवं उक्त कृषि योग्य भूमि में गन्ना क्षेत्रफल में यदि किसी कृषक द्वारा कृषि व्यवसाय (गन्ने की खेती) के अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक गतिविधियां (यथा सोलर प्लाण्ट, ईंट भट्टा एवं गन्ने के अतिरिक्त अन्य फसलों की खेती) संचालित की जा रही हो तो कृषक का मात्र गन्ना क्षेत्रफल जिसमें उनके द्वारा गन्ने की फसल की बुवाई की गई हो, दर्शाया जायेगा। इस सम्बन्ध में अनियमितता/ संलिप्तता पाये जाने पर सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के साथ-साथ सर्वेकर्ता गन्ना विकास निरीक्षकों एवं गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

IV. जिन कृषकों के पास अपनी निजी भूमि नहीं है अथवा रेल, राजस्व, वन एवं सिंचाई विभाग के पट्टेदारों को गन्ना क्षेत्रफल के भौतिक सत्यापन के आधार पर गत वर्षों की भांति सट्टे की सुविधा उपलब्ध होगी। इन कृषकों हेतु रूपये 1.00 प्रति कु0 गन्ना आपूर्ति के आधार पर प्रशासनिक शुल्क निर्धारित किया जाता है। उक्त कृषकों की भूमि का सत्यापन सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक द्वारा किया जायेगा तथा इस आशय का नोटरी शपथ पत्र लिया जायेगा कि उक्त भूमि वादग्रस्त/विवादित नहीं है तथा उक्त शपथ पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होगा। सम्बन्धित कृषक की प्रमाणित तीन फोटो/आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 की प्रतियां समिति कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेंगी। अस्थायी सप्लायर सदस्य प्रत्येक वर्ष नये बनाये जायेंगे तथा उक्त सुविधा हेतु रू0 200.00 प्रति सदस्य प्रशासनिक शुल्क निर्धारित होगा।

V. सहकारी गन्ना विकास समितियों में नये सदस्य नियमानुसार दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक बनाये जायेंगे, उन्हें आगामी पेराई सत्र में गन्ना आपूर्ति की सुविधा होगी। जो नये सदस्य बनाये जायेंगे, उनके भूमि अभिलेखों की पुष्टि राजस्व विभाग/राजस्व विभाग की वेबसाइट https://bhulekh.uk.gov.in से अनिवार्य रूप से की जायेगी। समिति की सदस्यता ग्रहण करने हेतु सदस्यता फार्म पर कृषक की प्रमाणित तीन फोटो, आधार कार्ड एवं खतौनी की प्रति ली जायेंगी तथा कृषि योग्य भूमि को सदस्यता पंजिका में अंकित किया जायेगा। गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा आपस में समन्वय रखते हुए नये सदस्य बनाये जायेंगे, जिस हेतु यथाआवश्यकता

गन्ना कृषकों को जागरूक किये जाने हेतु विभागीय लाभप्रद योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रोत्साहित किया जायेगा।

VI. राज्य में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण कुछ सदस्यों द्वारा अपनी भूमि विक्रय की जा चुकी है, परन्तु समिति अभिलेखों में उन कृषकों की कृषि भूमि का पुराना रकबा ही दर्ज है, जबकि कुछ कृषकों के पास अत्यन्त कम भूमि रह गई है। ऐसे कृषक सदस्यों की भूमि का सत्यापन सर्किल के गन्ना पर्यवेक्षकों से कराने उपरान्त नवीन खतौनी एवं आधार कार्ड की प्रति प्राप्त करते हुए सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की संस्तुति उपरान्त ही कृषक सदस्यों के भूमि का नवीन/वास्तविक रकबा समिति अभिलेखों में दर्ज करा लिया जाये।

VII. यदि किसी कृषक सदस्य के दो सट्टे (डबल सट्टा) चल रहे हैं, तो एक सट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए एक ही सट्टा चलाया जाये, साथ ही साथ पेराई सत्र से पूर्व मृतक सदस्यों के चल रहे सट्टों को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाये। यदि किसी सट्टाधारक सदस्य कृषक की मृत्यु पेराई सत्र के दौरान हो जाती है, तो कृषक के आपूर्ति योग्य गन्ने की सामयिक खपत के दृष्टिगत उसका सट्टा चालू रखा जायेगा परन्तु यह सुविधा उसी पेराई सत्र हेतु मान्य होगी। यदि किसी समिति में कृषकों के दो सट्टे चलने अथवा वर्तमान पेराई सत्र से पूर्व में मृतक, सदस्यों के सट्टे चलने की शिकायत प्रकाश में आती है तो सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव प्रभारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे प्रकरणों को केन इम्प्लीमेण्टेशन कमेटी की बैठक में रखकर सम्बन्धित कृषक की गन्ना आपूर्ति/गन्ना मूल्य भुगतान में रोक लगाने का प्रकरण उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 46 के अन्तर्गत संदर्भित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

VIII. सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्यों की उन्हें आवंटित यूनिक कोड सहित ग्रामवार सूची बनायी जायेगी तथा इस सूची की गहन पड़ताल एवं सदस्यों का सत्यापन करके मृतक सदस्यों, अनियमित रूप से बने सदस्यों, भूमिहीन सदस्यों, अयोग्य एवं अनर्ह सदस्यों का नाम सूची से निकालते हुए सूची को संशोधित किया जायेगा तथा संशोधित सूची के आधार पर प्रत्येक सदस्य का नाम भू-राजस्व अभिलेखों के आधार पर कृषि भूमि एवं गन्ना क्षेत्रफल का मिलान किया जायेगा। मिलान के उपरान्त डबल, भूमिहीन तथा फर्जी सट्टों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा, जिससे पेराई सत्र के मध्य में डबल, भूमिहीन एवं फर्जी सट्टों की समस्या उत्पन्न न हो।

3. बेसिक कोटा निर्धारण :-

चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले समस्त गन्ना कृषकों का बेसिक कोटा निर्धारित किया जायेगा, जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जायेगी :-

I. **पेराई सत्र 2025-26 हेतु बेसिक कोटा का निर्धारण निम्नवत किया जायेगा :-**

जनपद ऊधमसिंह नगर/नैनीताल अन्तर्गत गन्ना कृषकों के बेसिक कोटा का निर्धारण गन्ना उत्पादन के 85 प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा।

जनपद हरिद्वार/देहरादून अन्तर्गत पेराई सत्र 2023-24 में आई प्राकृतिक आपदा/अतिवृष्टि के कारण गन्ने की फसल को हुए नुकसान के दृष्टिगत कृषक द्वारा पेराई सत्र 2023-24 में की गई गन्ना आपूर्ति को छोड़कर विगत 02 पेराई सत्रों (पेराई सत्र 2022-23 एवं पेराई सत्र 2024-25) में की गन्ना आपूर्ति का औसत अथवा विगत 03 पेराई सत्रों (पेराई सत्र 2024-25, 2022-23 एवं 2021-22) में की गयी गन्ना आपूर्ति का औसत, इनमें से जो अधिक हो, के अनुसार बेसिक कोटा निर्धारित किया जायेगा।

II. जिन कृषकों द्वारा विगत 03 पेराई सत्रों में से एक पेराई सत्र में ही गन्ने की आपूर्ति की गई है तो कृषक द्वारा उस पेराई सत्र में आपूर्ति गन्ने की मात्रा के अनुसार ही बेसिक कोटा निर्धारित किया जायेगा।

III. गन्ना समिति के ऐसे कृषक, जो पेराई सत्र 2023-24 में नये सदस्य बने थे, परन्तु प्राकृतिक आपदा/अतिवृष्टि के कारण गन्ने की फसल को हुए नुकसान के दृष्टिगत उस वर्ष की आपूर्ति का संज्ञान नहीं लिया जायेगा तथा ऐसे कृषकों के बेसिक कोटा की गणना सम्बन्धित चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा सम्बन्धित जिले की गन्ना उत्पादकता का 65 प्रतिशत, इनमें से जो अधिक हो, की सीमा तक किया जायेगा। इसी प्रकार ही नये सदस्य कृषकों का सट्टा भी निर्धारित किया जायेगा। ऐसे कृषकों, जिसके द्वारा पेराई सत्र 2023-24 में अन्य पेराई सत्रों के सापेक्ष अधिक गन्ना आपूर्ति की गई है, उनके सम्बन्ध में पेराई सत्र 2023-24 में आपूर्ति गन्ने की मात्रा को बेसिक कोटा निर्धारण के दौरान सम्मिलित किया जाये।

IV. पौधशाला धारक कृषक द्वारा सत्र के दौरान बीज के रूप में दी गई गन्ने की मात्रा भी बेसिक कोटा के निर्धारण हेतु उस सत्र में गन्ना आपूर्ति मानी जायेगी। जिस हेतु कृषक के कलेण्डर में पृथक से एक कॉलम अंकित किया जायेगा तथा जिसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कम्प्यूटर में की जायेगी।

V. यदि किसी चीनी मिल क्षेत्र में कुल कृषकों का बेसिक कोटा चीनी मिल की निर्धारित गन्ने की आवश्यकता से कम होता है तो इसके अन्तर की मात्रा की पूर्ति अतिरिक्त सट्टे द्वारा की जायेगी। अतिरिक्त सट्टे के सम्बन्ध में सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल से विचार-विमर्श करते हुए यथोचित निर्णय लिया जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त सट्टे हेतु निर्धारित मात्रा के अनुसार कृषकों से रूपये 1.00 प्रति कुन्तल की दर से धनराशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में सम्बन्धित गन्ना समिति द्वारा जमा करायी जायेगी, जो कि सम्बन्धित कृषक के गन्ना मूल्य से वसूल की जायेगी। अतिरिक्त सट्टे की मात्रा पूरी न कर पाने की दशा में सम्बन्धित कृषक से रूपये 5.00 प्रति कुन्तल की दर से पेनाल्टी ली जायेगी, जो कि सम्बन्धित कृषक के गन्ना मूल्य से वसूल की जायेगी।

VI. अतिरिक्त सट्टा के लिए प्रत्येक वर्ष गन्ना सर्वेक्षण के समय कृषक के पास उपलब्ध क्षेत्रफल की सूचना तथा कृषक के बेसिक कोटा के अतिरिक्त वह कितना गन्ना मिल को आपूर्ति करना चाहता है, का कृषक से लिखित ऑफर लिया जायेगा इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर भरकर गन्ना सर्वेक्षण के समय ही कृषक से प्राप्त की जायेगी। इस प्रकार कृषक के पास उपलब्ध बेसिक कोटा के अतिरिक्त गन्ने की मात्रा अतिरिक्त सट्टा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता तथा बेसिक कोटा के अन्तर की सीमा तक ही अनुमन्य होगा। इस बढ़ोत्तरी हेतु सर्वेक्षण के समय तथा कृषकों के ऑफर प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तर 3.5 के अनुसार प्रति कुन्तल की दर से प्रशासनिक शुल्क लिये जाने के प्रतिबन्ध को कृषक को स्पष्ट कर दिया जायेगा कि अतिरिक्त सट्टा की सीमा तक निर्धारित प्रशासनिक शुल्क की कटौती गन्ना मूल्य के प्रथम/अंतिम भुगतान से किये जाने के लिए कृषक सहमत है, इसका अंकन अतिरिक्त सट्टा ऑफर फार्म में स्पष्ट रूप से कर दिया जायेगा। कृषकवार अतिरिक्त सट्टे की कड़ाई से जांच की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक तथा गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा शतप्रतिशत जांच करते हुए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसका सत्यापन ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा भी किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षकों एवं गन्ना विकास निरीक्षकों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण अनिवार्यतः किया जाना अपेक्षित है। पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में सहायक गन्ना आयुक्त से विगत पेराई सत्र में निर्धारित सट्टे के दोगुने से अधिक आपूर्ति करने वाले कृषकों के संदर्भ में कार्यवाही रिपोर्ट अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में परिषदवार ऐसे कृषकों/बिचौलियों पर विशेष निगरानी रखी जाय ताकि वर्तमान पेराई सत्र में अतिरिक्त सट्टे सम्बन्धी नियमों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

VII. अतिरिक्त सट्टा हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक प्राप्त किये जायेंगे, जिनका निस्तारण दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक किया जाना अनिवार्य होगा।

VIII. उपरोक्त बेसिक कोटा की अधिकतम मात्रा निर्धारित करने के लिए निम्न आधार होंगेः-

A. कृषक की कुल भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अनुमन्य भू-क्षेत्र से अधिक नहीं मानी जायेगी।

B. कृषक की वास्तविक कृषि योग्य भूमि की गणना करते समय उसकी आवासीय भूमि, बाग, तालाब आदि भू-क्षेत्रों को कुल भूमि क्षेत्रफल से निकाल दिया जायेगा।

C. चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति हेतु किसी कृषक के अधिकतम गन्ना क्षेत्रफल के आगणन के प्रयोजन हेतु उसके द्वारा बोये गये गन्ने का शतप्रतिशत क्षेत्रफल अंकित होगा। कृषक का कुल गन्ना क्षेत्रफल उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि से अधिक नहीं होगा।

D. गन्ना उत्पादन की गणना हेतु मिल से सम्बन्धित जनपद में क्राप कटिंग प्रयोगों पर आधारित प्रति हेक्टेयर औसत उपज को आधार माना जायेगा।

E. कृषक के कुल उत्पादन की गणना निम्नप्रकार की जायेगी :-

गन्ना उत्पादन (कुन्तल में)=कृषक का वर्तमान वर्ष में गन्ने का क्षेत्रफल (हेक्टे0)×चीनी मिल से सम्बन्धित जनपद में क्राप कटिंग प्रयोगों पर आधारित औसत उपज (कुन्तल/हेक्टे0) (पेराई सत्र 2024-25 की क्रापकटिंग के आधार पर)

ज्ञातव्य है कि पेराई सत्र 2024-25 के क्राप कटिंग के प्रयोगों के आधार पर पेराई सत्र 2025-26 हेतु राज्य की औसत गन्ना उपज 834 कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हुई है, जबकि जनपदवार/परिषदवार औसत उपज के विवरण को भी संज्ञान में लिया जाना समीचीन होगा।

F. जिन कृषकों के पास गन्ने की उपज क्राप कटिंग प्रयोगों की औसत उपज से अधिक है, वे आवश्यकतानुसार उपज बढ़ोत्तरी हेतु आवेदन पत्र सम्बन्धित समिति के सचिव को दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक दे सकते हैं। इस हेतु अ0जा0/अ0ज0जा0 के कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य कृषकों से क्रमशः 10 रू0, 100 रू0 एवं 200 रू0 का शुल्क जमा कराया जायेगा।

G. उपज बढ़ोत्तरी में अप्रचलित प्रजातियों के गन्ने को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

H. उपज बढ़ोत्तरी के प्राप्त आवेदनों में से सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक 10 प्रतिशत खेतों की जांच कराकर अपने जोन की औसत उपज के आंकड़े सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे। परिषद क्षेत्र के ऐसे 15 प्लाटों की सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा स्वयं जांच की जायेगी। परिषद क्षेत्र से प्राप्त परिणामों की जांच के उपरान्त अधिकतम उपज के 10 प्रतिशत प्रकरणों का सत्यापन, विशेष रूप से अधिक उपज को चिन्हित करते हुए सहायक गन्ना आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा। स्थिति से संतुष्ट होने पर सहायक गन्ना आयुक्त उपज बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेंगे तथा प्रश्नगत औसत उपज पेराई सत्र पूर्ण होने के पश्चात् प्रेषित की जाने वाली जनपदीय/परिषदीय औसत उपज से अधिक नहीं होना अपेक्षित है।

I. किसी कृषक का बेसिक कोटा उसके उपरोक्तानुसार आगणित कुल गन्ना उत्पादन के 85 प्रतिशत मात्रा से अधिक नहीं होगा।

J. किसी भी कृषक का कुल सट्टा की सीमा उसकी भू-जोत के अनुसार वर्गीकरण कर उसके सम्मुख अंकित मात्रा तक निम्नवत निर्धारित होगी :-

- **छोटे कृषक - श्रेणी अ - 99 कुन्तल तक**
  श्रेणी ब - 100 से 144 कुन्तल तक
- **सीमान्त कृषक** -1 हेक्टेयर (अधिकतम 834 कुन्तल तथा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 1300 कुन्तल तक)
- **लघु कृषक** -2 हेक्टेयर (अधिकतम 1668 कुन्तल तथा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 2600 कुन्तल तक)
- **सामान्य कृषक** -5 हेक्टेयर (अधिकतम 4170 कुन्तल तथा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में अधिकतम 6500 कुन्तल तक)
- किसी कृषक का अधिकतम सट्टा निर्धारण, गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टेयर) X 834 कुन्तल अथवा उपज बढ़ोत्तरी की दशा में 6500 कुन्तल में से जो कम हो किया जायेगा।

K. विश्वविद्यालय, गन्ना अनुसंधान केन्द्रों, चीनी मिल, केन्द्र या राज्य सरकार के कृषि विभाग, जेल, पंजीकृत सहकारी संस्था, सार्वजनिक पूजा स्थल, संयुक्त परिवार एवं आयुक्त के स्तर से अनुमन्य अन्य कृषि फार्म जिन्हें सीलिंग से छूट प्राप्त है, सट्टे की अधिकतम सीमा से मुक्त रहेंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कुल कृषि योग्य भूमि का अधिकतम 60 प्रतिशत ही गन्ना क्षेत्रफल माना जायेगा तथा तद्नुसार ही इनके सट्टे का निर्धारण किया जायेगा।

इस प्रस्तर में आच्छादित संस्थाओं यथा पंजीकृत सहकारी संस्था, सार्वजनिक पूजा स्थल, सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा जनहित के कार्यों हेतु पंजीकृत निजी ट्रस्ट अपने आवेदन पत्र के साथ रूपये 10.00 (रूपया दस मात्र) के स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त को सम्बोधित नोटराईज्ड शपथ पत्र पर एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र में यह उल्लेख होगा कि उनकी संस्था का नाम क्या है, संस्था कब रजिस्टर्ड हुई, उसका स्टेट्स क्या है, संस्था का पैन कार्ड क्या है, जी0एस0टी0 नम्बर क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था के पास कितनी कृषि योग्य भूमि है तथा गत कितने वर्षों से किस चीनी मिल को किस गन्ना समिति के माध्यम से गन्ना आपूर्ति की जा रही है। सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त उक्त शपथ पत्र का परीक्षण कर संस्तुति सहित अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त के पास अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करेंगे तथा अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त सम्बन्धित संस्था को सट्टे की अधिकतम सीमा से मुक्त करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

L. ऋण वसूली के हित में समितियों के पुराने बकायदारों के सट्टे बकाया राशि की सीमा तक किये जा सकते हैं परन्तु वह मात्रा कुल गन्ना उत्पादन के 85% मात्रा से कदापि अधिक नहीं होगी।

IX. कृषकवार एवं ग्रामवार सर्वे तथा सट्टे की सूची का प्रदर्शन सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक/समिति कार्मिकों एवं मिल कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थल पर दिनांक 30 सितम्बर, 2025 तक सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास

निरीक्षक तथा सम्बन्धित चीनी मिल के गन्ना प्रबन्धक के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित ग्राम प्रधान की उपस्थिति में, ग्राम प्रधान को अवलोकित कराते हुए ग्रामवार प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ग्रामवार प्रदर्शन की तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सूची पर किसानों की आपत्तियां प्राप्त की जायेगी, किसानों द्वारा प्रस्तुत लिखित आपत्तियों की जांच परिणामों के आधार पर प्रदर्शित सूची में अंकित सट्टे की मात्रा में जांच करने का अधिकार संयुक्त रूप से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल के गन्ना प्रबन्धक का होगा। प्राप्त जांच परिणामों के आधार पर संशोधन की अनुमति सहायक गन्ना आयुक्त को संस्तुति के लिए प्रेषित की जायेगी। सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के परीक्षणोंपरान्त आवश्यक संशोधन संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त की अनुमति उपरान्त किये जायेंगे।

X. ग्रामवार सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन के दौरान प्राप्त आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण उपरान्त प्राथमिक कलेण्डर का ऑनलाईन (UK CANE APP) निष्कासन दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तक पूर्णकर लिया जायेगा। इसके पश्चात् दिनांक 21 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के मध्य समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला लगाया जायेगा तथा इसमें प्राप्त आपत्तियों का उपर्युक्तानुसार निराकरण करते हुए अंतिम रूप से सट्टा सूची तैयार की जायेगी। उक्तानुसार तैयार सूची को गन्ना समिति के सभापति को भी अवलोकित कराया जायेगा।

XI. समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन के दौरान प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त अंतिम कलेण्डर (UK CANE APP) पर ऑनलाईन उपलब्ध कराया जायेगा। अंतिम कलेण्डर का वितरण किसानों को चीनी मिल चलने के दस दिवस पूर्व ऑनलाईन कर दिया जायेगा।

XII. कलेण्डर की तैयारी के लिए आंकड़े कम्प्यूटर में फीड करने के पूर्व उसके चैकलिस्ट की जांच सम्बन्धित ब्लॉक इन्चार्ज से करवाना अनिवार्य होगा। यह चैकलिस्ट कम्प्यूटर से दो प्रतियों में तैयार कर ब्लॉक इन्चार्ज को उपलब्ध करायी जायेगी। चैकलिस्ट में गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक और ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का स्पष्ट हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक चैकलिस्टों का भली-भांति परीक्षण/निरीक्षण चैकलिस्ट की एक प्रति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी।

XIII. उपरोक्तानुसार संशोधित सूची जिसमें काट-पीट/अपरलेखन न हो कम्प्यूटर से पांच प्रतियों में बनाई जायेगी तथा सम्बन्धित सचिव गन्ना समिति/मिल समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक एवं सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित रहेगी। इस सूची की पी0डी0एफ0 फाईल सी0डी0 रोम/पैन ड्राईव में परिवर्तित करते हुए एक-एक प्रति सम्बन्धित समिति, चीनी मिल, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, सहायक गन्ना आयुक्त के कार्यालय में अनुरक्षित रहेगी तथा एक प्रति अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को प्रेषित की जायेगी। उक्तानुसार समस्त कार्यवाही दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाये। इसके बाद सट्टा सम्बन्धी आपत्तियों के प्रार्थना पत्र ग्राह्य नहीं होंगे।

XIV. निर्धारित सट्टे की मात्रा के लिए समिति द्वारा प्रत्येक कृषक से निर्धारित रूप-पत्र पर अनुबन्ध कराया जायेगा।

XV. जिन गन्ना कृषक सदस्यों द्वारा विगत दो वर्षों में गन्ना आपूर्ति नहीं की गई हो, ऐसे गन्ना कृषक को रू0 2.00 प्रति कुन्तल की पेनाल्टी के उपरान्त ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी बेसिक कोटा का निर्धारण नये सदस्यों की भांति किया जायेगा।

XVI. समस्त गन्ना समितियों के पंजीकृत/सप्लायर गन्ना कृषक सदस्यों की कृषि योग्य भूमि, गन्ना क्षेत्रफल, नये सदस्यों, वारिस सदस्यों एवं शून्य बेसिक कोटा सदस्यों की सूची पृथक से समिति कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायेगी। जिसकी एक प्रति सहायक गन्ना आयुक्त एवं एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिल को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

XVII. भूमि क्रय-विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार तीन श्रेणियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी :-

श्रेणी 1 : शत-प्रतिशत कृषि योग्य भूमि क्रय-विक्रय की स्थिति में यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है तथा गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा शत-प्रतिशत अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को विक्रय की जाती है और वह भूमि क्रेता को हस्तान्तरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो जमीन विक्रय के साथ उस भूमि पर की गयी गन्ना आपूर्ति के सापेक्ष आगणित बेसिक कोटा भी क्रेता को स्थानान्तरित हो जायेगा एवं विक्रेता कृषक का बेसिक कोटा शून्य कर दिया जायेगा।

श्रेणी 2 : 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम कृषि योग्य भूमि क्रय-विक्रय की स्थिति में यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है तथा गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि में से 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को विक्रय की जाती है और वह भूमिक्रेता को हस्तान्तरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो विक्रय की गयी कृषि योग्य भूमि से उत्पादित गन्ने की आपूर्ति से तैयार बेसिक कोटा का 50 प्रतिशत अंश अथवा विक्रेता द्वारा क्रेता कृषक को 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर दी गयी सहमति में से जो अधिक होगा, के आधार पर आगणित बेसिक कोटा, विक्रेता कृषक के कुल बेसिक कोटा से घटा दिया जायेगा एवं क्रेता के बेसिक कोटा में जोड़ दिया जायेगा।

श्रेणी-3 : 50 प्रतिशत से कम कृषि योग्य भूमि क्रय-विक्रय की स्थिति में यदि भूमि विक्रेता गन्ना कृषक है तथा गन्ना समिति का सदस्य है तथा उसके द्वारा धारित कुल कृषि योग्य भूमि में से 50 प्रतिशत से कम अपनी कृषि योग्य भूमि किसी कृषक को विक्रय की जाती है और वह भूमिक्रेता को हस्तान्तरित हो जाती है एवं खतौनी में क्रेता का नाम चढ़ जाता है, तो विक्रय की गयी कृषि योग्य भूमि से उत्पादित गन्ने की आपूर्ति से तैयार बेसिक कोटा का स्थानान्तरण क्रेता कृषक को उस दशा में स्थानान्तरित किया जा सकता है जब विक्रेता कृषक 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देता है। गन्ना समिति द्वारा क्रेता कृषक को विक्रेता कृषक द्वारा प्रदत्त शपथ-पत्र में वर्णित सहमति के आधार पर बेसिक कोटा स्थानान्तरित किया जा सकता है।

4. कृषकों के निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ने की खपत के सम्बन्ध में छूट :-

यदि किसी कृषक के पास उसके निर्धारित सट्टे से अधिक गन्ना उपलब्ध है तो वह उसे खाण्डसारी इकाईयों को आपूर्ति करने या गुड़ बनाने में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। परन्तु सट्टे से अधिक उत्पादित गन्ने की खरीद का पूर्णलेखा-जोखा सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से अनुरक्षित किया जायेगा।

5. सट्टे से कम आपूर्ति एवं खरीद होने की दशा में पेनाल्टी :-

निर्धारित सट्टे की मात्रा के अनुरूप गन्ना आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड गन्ना खरीद आदेश, 1954 में वर्णित प्रविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

6. गन्ना सर्वेक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया :-

गन्ना सर्वेक्षण का कार्य गन्ना विकास विभाग एवं चीनी मिल कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पेराई सत्र 2025-26 हेतु प्रसारित गन्ना सर्वेक्षण नीति परिपत्र संख्या 256/सी/ख-क्रय अनुभाग/ग0सर्वे0/2025-26 दिनांक 08 मई, 2025 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

7. गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रक्रिया :-

I. गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित कार्यों का उत्तरदायित्व गन्ना समिति के सचिव प्रभारी का होगा। सचिव गन्ना आपूर्ति कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए सहायक गन्ना आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य कर्मचारियों को सम्बद्ध कर सकते है, लेकिन उत्तरदायित्व सचिव का ही होगा।

II. गन्ना सुरक्षण आदेश निर्गत होने के 14 दिन के भीतर समिति द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल को उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति तथा खरीद) आदेश, 1954 के प्राविधानों के अनुसार गन्ने का ऑफर दिया जायेगा तथा उक्त ऑफर के आधार पर चीनी मिल एवं गन्ना समिति के मध्य उक्त आदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप "सी" पर अनुबन्ध किया जायेगा, जो गन्ना समिति एवं चीनी मिलें उपरोक्तानुसार अनुबन्ध नहीं करेंगी उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

III. गन्ना समिति द्वारा सदस्य कृषकों से किए गये सट्टे के अनुसार ही चीनी मिल को ऑफर दिया जायेगा सट्टे से अधिक ऑफर देने पर समिति के सचिव को उत्तरदायी माना जाएगा। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना खरीद ऑफर एवं अनुबन्ध के अनुसार ही की जाये। सहायक गन्ना आयुक्त अपने अधीनस्थ गन्ना समितियों में यह सुनिश्चित कर लेंगे कि निर्धारित समयावधि के भीतर ऑफर तथा अनुबन्ध की कार्यवाही उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश, 1954 में निर्धारित प्रारूप "ए" एवं "सी" पर सम्पन्न होगी। यदि चीनी मिल द्वारा समिति से प्राप्त ऑफर की स्वीकृति पर निर्णय 15 दिनों के अन्दर नहीं लिया जाता है तो समझा जायेगा कि चीनी मिल को समिति द्वारा प्रेषित ऑफर मान्य है।

IV. ऐसे गन्ना कृषक जो समिति क्षेत्र में एक से अधिक स्थान पर खेती करते हैं उनके समस्त खेतों का विवरण संकलित करके ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा एक ही स्थान से सट्टा चलाया जाएगा। ट्रान्सफर इन्ट्री की जांच सम्बन्धित

ब्लॉक इन्चार्ज द्वारा राजस्व के अभिलेखों के आधार पर की जायेगी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ट्रान्सफर इन्ट्री की जाएगी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करने उपरान्त ही दूसरे गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा ट्रान्सफर इन्ट्री स्वीकार की जायेगी, जिससे कोई कृषक इसका अनुचित लाभ न उठा सके। सामान्यतः कृषक का सट्टा वहीं चालू रखा जायेगा, जिस ग्राम से वह समिति का सदस्य हो। यदि किसी अत्यधिक दूरी के कारण कोई कृषक एक स्थान पर गन्ना आपूर्ति करने में असमर्थ हो तो उस दशा में सहायक गन्ना आयुक्त की अनुमति लेकर कृषकों का सट्टा समिति के दो क्रय केन्द्रों में चालू रखा जा सकता है, लेकिन कृषक से समिति के कर्ज की वसूली के लिए सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव का ही उत्तरदायित्व होगा। सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसे कृषक कोई अनुचित लाभ न उठा सकें। समिति के कार्य क्षेत्र के बाहर की ट्रान्सफर इन्ट्री किसी भी दशा में सहायक गन्ना आयुक्त की पूर्वानुमति के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रान्सफर इन्ट्री से सम्बन्धित कृषकों का रजिस्टर गन्ना विकास परिषद स्तर पर अनुरक्षित रखा जायेगा जिसे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेख एवं गन्ना सर्वे के आधार पर सत्यापित किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही प्री-कलैण्डर जारी होने से पूर्व अवश्य पूर्ण कर ली जाये।

V. कोई गन्ना कृषक सहकारी गन्ना समितियों की दोहरी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकेगा। गन्ना कृषक जिस समिति क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास व गन्ने की खेती करता हो, उसी गन्ना समिति का सदस्य होगा किन्तु उसके पास यदि एक से अधिक गन्ना समिति/जनपदों में जमीन है तथा वह उस पर गन्ने की खेती करता है तो उसे गन्ना आपूर्ति की सुविधा उसी क्षेत्र की सम्बन्धित गन्ना समिति के निकटवर्ती क्रय केन्द्र पर सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा अनुमन्य की जायेगी। इस हेतु उसके बेसिक कोटा के आधार पर अलग-अलग जनपद/समिति में स्थित गन्ना क्षेत्रफल हेतु द्वितीय/तृतीय सट्टा अलग-अलग जनपद/समिति से संचालित होगा।

VI. यदि कोई कृषक जो एक समिति का पंजीकृत सदस्य है तथा उसकी अन्य भूमि अन्य समिति के क्षेत्र में भी आती है तो उसकी समस्त भूमि/खेतों का विवरण संकलित कर ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा कृषक का सट्टा उसी समिति में चलाया जायेगा, जिस समिति का वह पंजीकृत सदस्य होगा तथा पंजीकृत सदस्य उसी समिति का बनाया जायेगा जहां का वह स्थायी निवासी हो। ट्रान्सफर इन्ट्री सम्बन्धित ब्लॉक इन्चार्ज द्वारा निर्गत राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के अनुमोदन उपरान्त की जायेगी। यदि अत्यधिक दूरी के कारण कोई कृषक एक स्थान पर गन्ना आपूर्ति करने में असमर्थ हो तो सहायक गन्ना आयुक्त के आदेशानुसार कृषक का सट्टा दोनों समितियों के क्रय केन्द्रों में चालू रखना होगा तथा कृषक की सहमति के अनुसार उसी क्रय केन्द्र में आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिस क्रय केन्द्र में कृषक को गन्ना आपूर्ति में सुविधा हो। परन्तु ऐसी स्थिति में कृषक के कर्जे की वसूली के लिए गन्ना समिति के सचिव सतर्क रहेंगे, ताकि ऐसे कृषक उक्त व्यवस्था का अनुचित लाभ न ले सकें। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

VII. कृषकों के निर्धारित सट्टे के आधार पर ही कलेण्डर बनाया जाएगा। अनुबन्ध पत्र (सट्टा फार्म) एवं कलेण्डर में कृषकों की कृषि योग्य भूमि, गन्ना क्षेत्रफल, पेड़ी, प्रजाति, मोड, उपज एवं सट्टे की मात्रा का स्पष्ट एवं सही विवरण अंकित किया जायेगा।

VIII. कलेण्डर दिनांक 21 अक्टूबर, 2025 तक अनिवार्य रूप से तैयार कर कृषकों को UK CANE APP पर ऑनलाईन उपलब्ध करा दिया जायेगा। कृषकों को कलेण्डर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सचिव एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का होगा।

IX. चीनी मिल द्वारा कृषकों को निर्गत की जाने वाली पर्चियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दर (शीघ्र एवं सामान्य गन्ना प्रजाति का पृथक-पृथक) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

X. चीनी मिल द्वारा कम से कम चार दिन पूर्व गन्ना आपूर्ति का इण्डेण्ट समिति को दिया जाना अनिवार्य होगा। चीनी मिल एवं गन्ना समिति के सचिव का उत्तरदायित्व होगा कि तुलने वाली पर्चियों की सीरीज सहित पर्ची क्रमांक की सूची तीन दिन पूर्व सम्बन्धित क्रय केन्द्र तथा ग्राम के किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाये, जिससे कृषक अपनी पर्ची के क्रमांक देखकर गन्ना आपूर्ति सुविधापूर्वक कर सके। क्रय केन्द्र पर दैनिक तौल सम्बन्धी विवरण भी यथासम्भव नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिससे उस तिथि में तुलने वाली पर्ची (शीघ्र एवं सामान्य गन्ना प्रजाति) का प्रारम्भिक व अंतिम क्रमांक सहित उपलब्ध कुल तुलने वाली पर्चियों की संख्या तथा निरस्त अथवा समायोजित होने वाली पर्चियों का भी उल्लेख किया जायेगा।

उपर्युक्त के लिए गन्ना प्रबन्धक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा समिति सचिव अपने-अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे।

XI. कृषक अपना गन्ना मिलगेट अथवा क्रय केन्द्रों पर जहां से वह सम्बद्ध कृषक है, जारी की गयी पर्ची की तिथि से तीन दिवस के भीतर तक निर्धारित स्थल में तुलवायेंगे। यदि चीनी मिल द्वारा पर्चियों की तौल हेतु अनुमन्य अवधि के पश्चात् भी उस पर गन्ना तौल लिया जाता है तो सम्बन्धित चीनी मिल के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि कृषक पर्ची पर अंकित तिथि में गन्ना नहीं तुलवा सका है, तो ऑनलाईन एप की सुविधा के अन्तर्गत कृषक को रिवैलिडेट पर्ची उसके मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध हो जायेगी, जिसके उपरान्त तौल संभव होगी। यदि कृषक के द्वारा उपर्युक्त सुविधा का दुरूपयोग किया जाता है तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा इसकी जांच करायी जायेगी और जांच आख्या को अग्रेत्तर कार्यवाही के संबंध में निर्णय हेतु केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की आगामी बैठक में यथोचित निर्णय हेतु रखा जायेगा।

XII. गन्ना समिति स्तर से जिस चीनी मिल हेतु पर्ची जारी की गयी है, उस पर्ची पर तौल सम्बन्धित चीनी मिल में ही की जायेगी। यदि किसी गन्ना कृषक द्वारा अवैधानिक रूप से एक ही पर्ची पर दो चीनी मिलों में तौल करायी जाती है तो ऐसी स्थिति में कृषक से रू0 500.00 प्रति पर्ची के आधार पर पैनाल्टी ली जायेगी। साथ ही उक्त कृत्य में सम्बन्धित तौल लिपिक की सहभागिता की दशा में तौल लिपिक के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

XIII. मिल चलने से दस दिवस पूर्व कलेण्डर अनिवार्य रूप से तैयार कर कृषकों को UK CANE APP पर ऑनलाईन उपलब्ध करा दिया जायेगा। कृषकों को कलेण्डर समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं चीनी मिल का होगा। इस संबंध में सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त जनपद में गन्ना कृषकों को कलेण्डर वितरण समयान्तर्गत प्राप्त होने की सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

XIV. एक चीनी मिल अन्तर्गत सभी समितियों में गन्ने की समानुपातिक खरीद के सिद्धांत का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। चीनी मिल द्वारा समानुपातिक खरीद को ध्यान में रखते हुए समिति को ऑनलाईन इण्डेन्ट दिया जाएगा। सहायक गन्ना आयुक्त केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में इसकी बराबर समीक्षा अनिवार्य रूप से करते रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों के इण्डेण्ट का निर्धारण करेंगे जिसका पालन चीनी मिल द्वारा किया जाएगा।

XV. समानुपातिक खरीद सुनिश्चित करते हुए यह ध्यान रखा जायेगा कि सभी क्रय केन्द्रों का गन्ना लगभग एक साथ समाप्त हो। कोई क्रय केन्द्र तभी बन्द किया जायेगा जबकि कलेण्डर में अंकित सभी कृषकों की पर्चियां जारी हो चुकी हों। सुरक्षण आदेश में अंकित निर्देशों के अनुसार चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र का समापन आयुक्त की पूर्वानुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।

XVI. प्रायः यह देखने में आया है कि बड़े सट्टा धारकों को सत्र के दौरान पर्चियां नियमित रूप से नहीं मिलती हैं, परिणामस्वरूप सत्र के अन्त में एक साथ अधिक मात्रा में उनको पर्चियां दे दी जाती हैं, जिन पर आपूर्ति किया जाना सम्बन्धित कृषक द्वारा सम्भव नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में समिति के सचिव सुनिश्चित करें कि बड़े सट्टा धारकों को भी समानुपातिक एवं नियमित रूप से पर्चियां जारी होती रहें, जिससे कि सत्र के अन्त में अत्याधिक मात्रा में एक साथ पर्चियां ऐसे कृषकों को जारी न करनी पड़े।

XVII. विगत पेराई सत्रों में समिति द्वारा चीनी मिल स्तर से जारी किये गये इण्डेट से अधिक की पर्चियां निर्गत कर दिये जाने का मामला प्रकाश में आया, जिस कारण चीनी मिल को दैनिक आवश्यकता से अधिक आपूर्ति हो जाने की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः चीनी मिलों द्वारा दिये गये इण्डेट से अधिक मात्रा की गन्ने की पर्चियां कदापि निर्गत न की जायें। यदि इण्डेण्ट से अधिक पर्ची निर्गत किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो सम्बन्धित चीनी मिल के प्रबन्धन से वार्ता/सहमति उपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त स्तर से मिल के दैनिक इण्डेन्ट में संशोधन/यथा आवश्यकता पर्चियां निर्गत किये जाने का निर्णय अपेक्षित है।

XVIII. ऋण वसूली का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव का होगा। पुराने बकायेदारों कृषकों से उनके ऋण की वसूली के लिए प्राथमिकता के आधार पर गन्ने की पर्चियां अधिकतम दैनिक इण्डेन्ट के 20 प्रतिशत सीमा तक सहायक गन्ना आयुक्त से लिखित पूर्वानुमति से जारी की जा सकेगी।

XIX. स्वीकृत गन्ना पौधशाला से बीज लेने वाले कृषकों को गन्ने की पर्चियां आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही उसी मात्रा तक दी जाएगी जितनी मात्रा में उनके द्वारा बीज स्वीकृत गन्ना पौधशाला से प्राप्त किया हो, ऐसी जारी की गई पर्चियों का विवरण पृथक से एक पंजिका में रखा जाएगा।

XX. दैवीय आपदा यथा जला गन्ना, ओला, पाला, बाढ़ तथा जानवरों आदि से प्रभावित गन्ने की प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की व्यवस्था हेतु कृषक के सट्टे की सीमा के अन्दर पर्चियां निर्गमन हेतु उस समय चल रहे पखवाड़े/कॉलम में जारी की जायेंगी। जले गन्ने की पर्चियां राजस्व/पुलिस विभाग, ओला, पाला व बाढ़ आदि से प्रभावित फसल की पर्चियां राजस्व विभाग एवं जानवरों द्वारा गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाये जाने की स्थिति में वन/राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त ही निर्गत की जायेंगी, ताकि अनावश्यक रूप से इस सुविधा का दुरूपयोग न हो।

XXI. आयुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना परिवार नियोजन एवं राष्ट्रीय बचत कार्यक्रमों के नाम पर किसी कृषक को प्राथमिकता के आधार पर पर्चियां कदापि नहीं दी जाएगी।

XXII. यदि सत्र के दौरान यह पता चले कि किसी सदस्य के पास उतना गन्ना नहीं है जितने के लिए उसने सट्टा किया है तो समिति के सचिव कृषक को नोटिस देते हुए पर्चियां तुरन्त बन्द करा देंगे और अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/सहायक गन्ना आयुक्त को भेजेगें। ऐसे गन्ना कृषक जिन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत करके अधिक/अनियमित सट्टा कराया है, उनकी सदस्यता समाप्त करने हेतु सचिव द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

XXIII. पर्ची निष्कासन की सूचना एस0एम0एस0 पर्ची द्वारा कृषकों के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी तथा प्रेषित एस0एम0एस0 पर्ची के साथ कृषक अपना पहचान पत्र दिखाकर गन्ने की तुलाई करा सकेंगे। एक समिति पर्ची पर सम्बन्धित चीनी मिल अन्तर्गत केवल एक ही बार गन्ने की तौल की जायेगी। किसी समिति पर्ची पर एक से अधिक बार तौल करने की स्थिति में सम्बन्धित चीनी मिल का तौल लिपिक उत्तरदायी होगा तथा उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। चीनी मिल द्वारा दैनिक तौलशीट की एक प्रति प्रतिदिन समिति कार्यालय में भी उपलब्ध करायी जायेगी।

XXIV. गन्ना समिति द्वारा गन्ना कृषक को निर्गत पर्ची अंकित वजन से अधिक गन्ने की तौल किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। परन्तु व्यवहारिकता के दृष्टिगत गन्ना किसानों को 15 प्रतिशत तक की सीमा तक छूट अनुमन्य होगी। यदि इस प्रकार अधिक तौले गये (ओवरवेट) गन्ने की कुल क्रमित मात्रा कृषक के आपूर्ति मोड की पर्ची के बराबर हो जाती है, तो इस अधिक तौले गये गन्ने की मात्रा (ओवरवेट) को उसकी आगामी पर्ची में तत्काल समायोजित कर दिया जायेगा तथा समायोजन की व्यवस्था ऑनलाईन की जायेगी। ओवरवेट के समायोजन के सम्बन्ध में चीनी मिलें सम्बन्धित समितियों को तत्काल/उसी दिन सूचना देंगी तथा समिति स्तर से तत्काल समायोजन की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी चीनी मिल में निर्धारित वजन से अधिक तौल किये जाने के बहुत अधिक मामले सामने आते हैं तो उसे चीनी मिल की शिथिलता मानते हुए तौल लिपिक के साथ-साथ सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

XXV. विगत वर्षों में चीनी मिलों को सुरक्षित/अभ्यर्पित क्रय केन्द्रों में कुछ कृषक अपने साधनों द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति करते रहे हैं। ऐसे कृषक को इस वर्ष भी चीनी मिल के गेट/क्रय केन्द्रों में से किसी एक स्थान पर ही गन्ना आपूर्ति की सुविधा रहेगी। यदि कृषक क्रय केन्द्र से मिलगेट पर गन्ना आपूर्ति की सुविधा चाहते हैं तो सम्बन्धित चीनी मिल की सहमति से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त यह सुविधा सहायक गन्ना आयुक्त के माध्यम से प्रदत्त होगी। एक बार प्रदान की गई सुविधा पूरे सत्र के लिए प्रभावी होगी। यदि कोई कृषक किन्हीं विशेष व्यवहारिक कठिनाईयों व उसी चीनी मिल के दूसरे क्रय केन्द्रों पर गन्ने की आपूर्ति की सुविधा चाहता है तो आवश्यक जांच तथा चीनी मिल एवं सम्बन्धित गन्ना समिति की सहमति के उपरान्त यथोचित आदेश सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। गन्ना तौल परिवर्तन हेतु उपर्युक्त उल्लिखित व्यवस्था में एक से अधिक बार परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। क्रय केन्द्र परिर्वतन हेतु सामान्य कृषकों से रूपये 100.00 प्रति कृषक, लघु एवं सीमान्त कृषकों से रूपये 50.00 प्रति कृषक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों से रूपये 10.00 प्रति कृषक की दर से शुल्क जमा कराया जायेगा अथवा कृषक की सहमति के आधार पर गन्ना मूल्य से समायोजित किया जायेगा।

XXVI. जले हुए गन्ने की पर्ची कृषक के आवेदन करने पर सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव एवं सम्बन्धित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/गन्ना प्रबन्धक के स्थल सत्यापन के पश्चात सट्टे के अन्तर्गत अलग से जारी की जा सकेगी। इसका विवरण पृथक से अंकित किया जायेगा तथा उस पर गन्ना समिति के सचिव व चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/गन्ना प्रबन्धक दोनों के हस्ताक्षर होंगे तथा उक्त के सम्बन्ध में गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के खण्ड 3 के उपखण्ड 3-A(ii) में उल्लेखित व्यवस्था के अन्तर्गत पाक्षिक रूप से सम्बन्धित जिलाधिकारी से कराने का दायित्व सहायक गन्ना आयुक्त का होगा।

8. गन्ना आपूर्ति कार्य का कम्प्यूटरीकरण :-

I. सहकारी गन्ना विकास समितियों के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु समितियों द्वारा सेवा प्रदाता फर्म से निःशुल्क अनुबन्ध किया गया है, तद्नुसार समिति स्तर से गन्ना आपूर्ति कार्य हेतु कम्प्यूटरीकरण एवं ऑनलाईन की व्यवस्था संचालित है।

II. कम्प्यूटर व्यवस्था का संचालन उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 तद्विषयक नियमावली तथा आयुक्त द्वारा निर्गत आपूर्ति नीति व समय-समय पर दिये गये निर्देशानुरूप किया जायेगा।

III. कम्प्यूटरीकरण से कृषकों का सीधा हित एवं उद्देश्य जुड़ा हुआ है अतः इस व्यवस्था में पूर्ण विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता रखी जाएगी तथा इसे सहायक गन्ना आयुक्त/गन्ना समिति के नियंत्रण मे रखा जायेगा।

IV. गन्ना समिति/चीनी मिल समिति स्तर पर, कम्प्यूटरीकरण करके कृषकों को आपूर्ति हेतु पर्चियां निर्गत कराने तथा बैंक एडवाईज भेजने आदि सभी कार्यों को सम्पादित कराने के लिए की गई व्यवस्था पूर्णतः केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के पर्यवेक्षण/निर्देशन में रहेगी।

V. गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर के सत्यापन हेतु आवश्यक सिक्योरिटी चेक की व्यवस्था की जायेगी, जिसका अग्रेत्तर संचालन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की अनुमति के उपरान्त ही किया जायेगा।

VI. प्रत्येक चीनी मिल के मिलगेट पर गन्ने से भरी बैलगाड़ी से लेकर भरे ट्रक तक की तौल करने की क्षमता वाला हस्तचालित तौल यंत्र (टेस्टिंग वेब्रिज) जांच हेतु स्थापित किया जायेगा जिसका प्लेटफार्म न्यूनतम इतना बड़ा रखा जायेगा कि जिस पर ट्रैक्टर एवं ट्राली जुड़े हुए एक साथ खड़े किये जा सकें। इस व्यवस्था के सुचारू पर्यवेक्षण/क्रियान्वयन हेतु गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त उत्तरदायी होंगे।

VII. आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा पारित सुरक्षण आदेशों तथा समय-समय पर किए गये संशोधनों को आदेश प्राप्ति के 48 घण्टे के अन्दर क्रियान्वित किया जायेगा।

VIII. गन्ना सर्वेक्षण के उपरान्त फीड कराये गये आंकड़ों में किसी प्रकार का कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सत्र के दौरान गन्ना सर्वेक्षण आंकड़ों में यदि कोई संशोधन/परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो उसका निर्धारित प्रारूप पर रजिस्टर तैयार किया जाएगा तथा यह संशोधन केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा के उपरान्त सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए लिये गये निर्णय/संस्तुति पर संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त से प्राप्त अनुमति उपरान्त किया जायेगा। केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में विचार किये जाने योग्य प्रकरण सम्बन्धित सचिव/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा बैठक की तिथि से पूर्व ही सहायक गन्ना आयुक्त को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

IX. अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को पूर्व में प्रेषित सूचना/प्रदत्त स्वीकृति के उपरान्त पेराई सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व गन्ना आपूर्ति, गन्ना तौल एवं गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। अंतिम कलैण्डर जारी करने के उपरान्त गोपनीय पासवर्ड सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा डाला जायेगा। यदि केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में बिना विचार किये अथवा कोई गलत संशोधन फीड कराया जाता है तो सम्बन्धित सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त भी उत्तरदायी होंगे।

X. कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत फील्ड में किये गए गन्ना सर्वेक्षण के आधार पर चेकिंग के उपरान्त अन्तिम किए गए सर्वे आंकड़ों को ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा यथावत फीड किया जाएगा। इस फीड किए गए सम्पूर्ण सर्वेक्षण तथा गन्ना आपूर्ति आंकड़ों को पी0डी0एफ0 फाईल में पांच पैन ड्राईव/सी0डी0 रोम तैयार की जायेंगी। जिनकी एक-एक प्रति समिति कार्यालय, कम्प्यूटर कार्यालय, सहायक गन्ना आयुक्त कार्यालय, एक चीनी मिल में सुरक्षित रखी जाएगी तथा एक पैन ड्राईव/सी0डी0 अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को प्रेषित की जाएगी।

XI. कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत चीनी मिल एवं गन्ना समिति द्वारा कृषकों के लिए एक सुलभ स्थान पर एक अतिरिक्त टर्मिनल लगाकर पूछताछ केन्द्र स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

XII. कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू की जाएगी तथा इसे आंशिक रूप से क्रियान्वित करने का विकल्प नहीं होगा। गन्ना सर्वेक्षण एवं गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित आंकड़ों से लेकर बैंक एडवाईज बनाने तक की सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्यूटर से की जाएगी।

XIII. गन्ना सर्वेक्षण के उपरान्त प्रदर्शन, चैकलिस्ट का निर्गमन तथा आपत्तियों के आधार पर संशोधन, कलेण्डर का निर्धारण/वितरण तथा पर्चियों का निर्गमन कराते हुए कम्प्यूटर का संचालन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में यथाआवश्यकता सत्रावधि के दौरान केन इप्लीमेन्टेशन कमेटी में विचार विमर्श भी किया जायेगा। उपरोक्तानुसार सत्यापन की कार्यवाही कराये जाने के पश्चात् ही अग्रेतर संचालन किया जायेगा। सॉफ्टवेयर के तद्नुसार

वेरिफिकेशन हेतु आवश्यक सिक्योरिटी चैक की व्यवस्था की जाएगी, जिसका केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी के सदस्यों द्वारा सहमति उपरान्त ही अग्रेतर संचालन किया जायेगा।

XIV. पेराई सत्र आरम्भ होने के पूर्व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निर्धारित संस्था द्वारा ऑडिट कराना होगा।

XV. कम्प्यूटरीकरण संदर्भ में विभागीय नीतियों के अनुसार गन्ने की आपूर्ति कराने तथा पर्ची निर्गमन का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव का होगा।

XVI. अतिरिक्त सुविधा के लिए कृषक सेवा केन्द्र के रूप में एच0डी0एफ0सी0 बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक/कृषक सेवा केन्द्र संचालित किये जायेंगे, जिससे गन्ना कृषकों को उनके नाम, कोड, कलेण्डर, सट्टा एवं पर्ची इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समितियों द्वारा इन ग्राहक सेवा केन्द्रों का गन्ना कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा इन केन्द्रों के बैनर इत्यादि समिति कार्यालय, चीनी मिल कार्यालय, मिल गेट एवं गन्ना क्रय केन्द्रों में लगाये जायेंगे।

9. पेड़ी शरदकालीन एवं शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियों की आपूर्ति :-

I. पेड़ी तथा शरदकालीन बुवाई (शीघ्र व मध्य देर) को उपलब्धता के आधार पर अधिकतम दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक अथवा उससे पूर्व की तिथि, जब तक केवल पेड़ी एवं शरदकालीन बुवाई के गन्ने से मिल में पेराई सम्भव हो गन्ने की आपूर्ति की जायेगी। दिनांक 01 फरवरी, 2026 से अथवा उससे पूर्व जैसा कि पेड़ी तथा शरदकालीन बुवाई की उपलब्धता हो, पौधे गन्ने की आपूर्ति कर दी जायेगी। पौधा गन्ने की खरीद अवश्य की जायेगी। कुल अनुबन्धित गन्ने की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक गन्ने की आपूर्ति पेड़ी के रूप में दिनांक 31 जनवरी, 2026 तक की जायेगी चाहे उसके पास इससे अधिक पेड़ी उपलब्ध हो। अतिरिक्त उपलब्ध पेड़ी गन्ने की आपूर्ति पौधे गन्ने के साथ की जायेगी।

II. जिन चीनी मिल क्षेत्रों में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों/शरदकालीन बुवाई का प्रतिशत अधिक है वहां पर चीनी मिलों की गन्ना पेराई **दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक** केवल शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के पेड़ी गन्ने/शरदकालीन बुवाई से आपूर्ति के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक दशा में **दिनांक 01 जनवरी, 2026** अथवा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में उससे पूर्व की तिथि से सामान्य प्रजातियों की पेड़ी की आपूर्ति भी प्रारम्भ कर दी जायेगी।

III. जहां शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का गन्ना क्षेत्रफल अधिक है ऐसी चीनी मिलों को **दिनांक 15 नवम्बर, 2025** या इसके पूर्व चलाये जाने के प्रयास किये जाए। शीघ्र पकने वाली प्रजाति का प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति हेतु सट्टा केवल कुल सट्टे का सामान्यतः उस सीमा तक ही किया जायेगा, जिस सीमा तक उसके क्षेत्र में शीघ्र प्रजातियों का प्रतिशत है। किन्तु यह 75 प्रतिशत से अधिक ग्राहय् नहीं होगा।

IV. शरदकालीन बुवाई एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के गन्ने की आपूर्ति में प्राथमिकता के कारण कृषकों को दी गई पर्चियों का समायोजन एक साथ कराते हुए अवशेष पर्चियों का निर्गमन जारी रखते हुए अन्य पर्चियों के साथ नियमित रूप से प्रदान किया जायेगा।

V. शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की पेड़ी तथा पौधा व शरदकालीन बुवाई के गन्ना क्षेत्रफल का प्रजातिवार व कृषकवार शतप्रतिशत जांच सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा जांच दल गठित कराकर की जायेगी तथा जांच की पूर्ण आख्या अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी।

VI. यदि जांच के समय यह पाया जाता है कि कोई कृषक शीघ्र पकने वाली प्रजातियों के नाम पर सामान्य प्रजाति के गन्ने का अपमिश्रण करके चीनी मिल को आपूर्ति करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे कृषक को शीघ्र पकने वाली प्रजाति पर मिलने वाला अधिक मूल्य देय नहीं होगा तथा गन्ना मूल्य का भुगतान सामान्य प्रजाति की दर से किया जायेगा। साथ ही ऐसे गन्ना कृषक के विरूद्ध सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति के सचिव/चीनी मिल के स्तर से नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

VII. प्रत्येक गन्ना उत्पादक जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां, गन्ना क्षेत्रफल, गन्ना उपलब्धता, शीघ्र एवं सामान्य प्रजातियों की उपलब्धता भिन्न-भिन्न है। किन्हीं जनपदों में चीनी मिलें माह नवम्बर के प्रारम्भ में संचालित हो जाती हैं तथा किन्हीं जनपदों में चीनी मिलें माह दिसम्बर से संचालित होती हैं। अतः गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा को देखते हुए पखवाड़ों का विभाजन निम्नवत किया जा रहा है :-

1.	शीघ्र पेड़ी की पर्चियों हेतु	01 से 06वें पखवाड़े तक
2.	शीघ्र पौधा की पर्चियों हेतु	07 से 12वें पखवाड़े तक
3.	सामान्य पेड़ी की पर्चियों हेतु	05 एवं 06वें पखवाड़े में
4.	सामान्य पौधा की पर्चियों हेतु	11 एवं 12वें पखवाड़े में

VIII. यदि शीघ्र प्रजाति का गन्ना 75 प्रतिशत से अधिक हो तो शेष गन्ने की आपूर्ति सामान्य प्रजातियों के साथ-साथ कराई जाये।

IX. उत्तराखण्ड राज्य के भावर क्षेत्र (शान्तिपुरी एवं बिन्दुखत्ता क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) में यदि **दिनांक 15 दिसम्बर, 2025** तक दो पखवाड़े समाप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 के उपरान्त सामान्य प्रजाति की पर्ची निर्गमन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

X. गन्ना आपूर्ति कराते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि प्रारम्भ में शरदकालीन बुवाई एवं शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की पेड़ी की पर्चियां दी जायेंगी। इसी प्रकार **दिनांक 01 फरवरी, 2026** से पौधा गन्ना की आपूर्ति प्रारम्भ होने पर शुरू में शीघ्र पकने वाली गन्ने की प्रजातियों की आपूर्ति के लिए पर्चियां कृषकों को दी जायेगी। किसी चीनी मिल क्षेत्र में चीनी मिल की दैनिक गन्ने की मांग की पूर्ति शीघ्र पकने वाली प्रजाति के साथ ही साथ सामान्य प्रजाति की पर्चियां भी सहायक गन्ना आयुक्त की अनुमति प्राप्त करके जारी की जायेंगी।

XI. कृषकों के पास शीघ्र प्रजाति एवं सामान्य प्रजाति का गन्ना होने की स्थिति में उसके सट्टे से सर्वप्रथम शीघ्र प्रजाति की पेड़ी की पर्चियां निर्गत की जायेंगी, तत्पश्चात अवशेष सट्टे से सामान्य प्रजाति की पेड़ी की पर्चियां निर्गत की जायेंगी, तत्पश्चात अवशेष सट्टे से सामान्य प्रजाति की पेड़ी की पर्चियां निर्गत कर दी जायेंगी, तत्पश्चात शीघ्र पौधा एवं सामान्य पौधा की पर्चियां जारी होंगी।

XII. शरदकालीन पौधे को पेड़ी क्षेत्रफल के साथ-साथ सट्टा आगणन में सम्मिलित किया जाये और जिस कृषक के पास पेड़ी गन्ना अथवा शरदकालीन पौधा गन्ना उपलब्ध नहीं है, उसकी पर्चियां पौधा गन्ना हेतु सातवें पक्ष से ही लगाई जायेंगी।

10. छोटे गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति की सुविधा :-

I. छोटे गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा दिये जाने एवं उनके गन्ने की फसल की त्वरित/ससमय आपूर्ति चीनी मिलों को कराये जाने के उद्देश्य से छोटे किसानों की दो श्रेणियां वर्गीकृत की जाती हैं :-

श्रेणी अ - 99 कुंतल तक

श्रेणी ब - 100 कुंतल से 144 कुंतल तक

यदि वर्गीकृत श्रेणी के अनुसार छोटे कृषकों का सट्टा 99/144 कुन्तल से कम है तो गन्ने की अनुमानित पैदावार के 85 प्रतिशत तक सामान्य बढोत्तरी सट्टे में की जा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि कुल सट्टा उक्त निर्धारित सीमा से अधिक न हो, तद्नुसार कृषकों को निम्नानुसार गन्ना आपूर्ति की सुविधा प्रदान की जायेगी :-

1.	शीघ्र/सामान्य पेड़ी हेतु (99 कु0 बेसिक कोटा तक)	01 एवं 02 पखवाड़े में
2.	शीघ्र/सामान्य पेड़ी हेतु (144 कु0 बेसिक कोटा तक)	01, 02 एवं 03 पखवाड़े में
3.	शीघ्र/सामान्य पौधा हेतु (99/144 कु0 बेसिक कोटा तक)	06 व 07 पखवाड़े में

II. यदि छोटे कृषकों के पास निर्धारित सट्टे से अधिक मात्रा में गन्ना उपलब्ध हो तथा वे गन्ना आपूर्ति कर चुके हों, तो नियमानुसार अतिरिक्त सट्टा कराते हुए उन कृषकों के गन्ने की आपूर्ति सातवें पक्ष से कराई जायेगी।

III. चीनी मिल क्षेत्र के लिए ऐसे प्रजातियों के गन्ने को जिन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रतिबन्ध करने का निर्णय लिया जा चुका है, परिपक्वता अवधि को ध्यान में रखते हुए विलम्ब से आपूर्ति कराने की व्यवस्था की जायेगी।

11. सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों तथा अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की गन्ना आपूर्ति :-

I. सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों (सी0आर0पी0एफ0, बी0एस0एफ0, एस0एस0बी0, सी0आई0एस0एफ0, आई0टी0बी0पी0 एवं असम राईफल्स), भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके मृतक होने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी को पेराई सत्र प्रारम्भ से ही 20 प्रतिशत की प्राथमिकता दी जायेगी। यह सुविधा कृषक सट्टे की मात्रा में समायोजित की जायेगी। सैनिक, अर्द्धसैनिक बल अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम पर यदि भूमि नहीं है एवं उसके माता/पिता के नाम से सट्टा होता है, तो उसके माता/पिता के सट्टे में भी यह सुविधा देय होगी। कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण मान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्यरत सैनिकों के लिए एडजूटेन्ट (Adjutant) तथा अर्द्धसैनिक बलों के लिए कमांडेण्ट/कम्पनी कमांडेण्ट द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र मान्य होगा। गन्ना आपूर्ति में सुविधा अनुमन्य कराने से पूर्व समिति सचिव सम्बन्धित लाभार्थियों के प्रमाण-पत्रों की जांच करेंगे। भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा जांच में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित समिति सचिव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

II. **समस्त वर्ग की महिलाओं को गन्ने की खेती के प्रति रूझान बढाने के लिए पेराई सत्र के प्रारम्भ से ही गन्ना आपूर्ति में 20 प्रतिशत की सुविधा दी जायेगी।**

III. अ0जा0/अ0ज0जा0 के कृषकों को गन्ने की खेती के प्रति प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु प्रत्येक समिति क्षेत्र में अ0जा0/अ0ज0जा0 के सट्टा धारकों का कलेण्डर 10 पखवाड़े अन्तर्गत समायोजन की सुविधा पेराई सत्र 2025-26 में प्रारम्भ से ही प्रदान की जायेगी।

12. गन्ने का पुनः सर्वेक्षण :-

I. सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त से किसी असामान्य परिस्थिति में प्राप्त प्रतिवेदनों के परीक्षण के उपरान्त प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में रि-सर्वे कराया जाना अपरिहार्य हो तो अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त की संस्तुति उपरान्त आयुक्त स्तर से रि-सर्वे की अनुमति दी जा सकती है।

II. यदि अपरिहार्य कारणों से किसी गन्ना कृषक के गन्ने की फसल का सर्वे छूट गया हो तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक **दिनांक 31 दिसम्बर, 2025** तक उक्त क्षेत्रफल का विधिवत सर्वे करायेंगे। उक्त तिथि के उपरान्त सर्वेक्षण छूट जाने का तथ्य प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित गन्ना पर्यवेक्षक एवं गन्ना विकास निरीक्षक के साथ-साथ ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इसी प्रकार यदि गन्ना सर्वेक्षण के दौरान गन्ना समिति के किसी पंजीकृत सदस्य कृषक की सूचना शून्य प्राप्त होती है तथा गन्ना समिति के स्तर से ऐसे कृषकों को समिति पर्चियां निर्गत कर दिये जाने की अनियमितता प्रकाश में आयेगी तो सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

III. चीनी मिल द्वारा मिल बन्दी का प्रथम नोटिस देने उपरान्त परिक्षेत्र में अवशेष गन्ने का सर्वे अनिवार्य रूप से करा लिया जाये, ताकि क्षेत्र के गन्ना कृषकों के समस्त गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को सुनिश्चित कराई जा सके। जिस हेतु सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं।

13. गन्ना मूल्य का भुगतान :-

I. उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 17 में चीनी मिल द्वारा गन्ना कृषकों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिवस के भीतर गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने का प्राविधान है। कृषकों के गन्ना मूल्य का भुगतान पूर्व वर्षों की भांति बैंकों के माध्यम से एडवाईज द्वारा किया जायेगा। चीनी मिल से गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य की धनराशि प्राप्त होने उपरान्त गन्ना समिति द्वारा तत्काल गन्ना मूल्य का भुगतान सम्बन्धित कृषकों को किया जायेगा। जिस हेतु यह ध्यान रखा जाए कि जो कृषक जिस बैंक के निकट हो उसका खाता उसी बैंक की शाखा में खुलवाया जाए तथा एक शाखा में बहुत अधिक कृषक सम्बद्ध न किये जाए। किसी भी दशा में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा। सहायक गन्ना आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त का यह दायित्व होगा कि वह इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा इसका उल्लंघन करने वाली गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

II. जहां चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान का कार्य किया जा रहा है वहां प्रेषित बैंक एडवाईज की एक प्रति सम्बन्धित चीनी मिल नियमित एवं अनिवार्य रूप से सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समिति को उपलब्ध करायेंगी। गन्ना/चीनी मिल समिति के सचिव का यह दायित्व होगा कि इसकी गम्भीरता से जांच करें तथा अनियमितता परिलक्षित होने की दशा में तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराते हुए उच्च स्तर को सूचित करें। अग्रेत्तर समिति ऋण व अन्य कटौतियों की स्थिति की भी जांच करते रहे। चीनी मिल द्वारा समिति ऋण एवं कटौतियों का भुगतान सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समिति के गन्ना मूल्य के साथ-साथ समितियों को समानुपातिक रूप से किया जायेगा।

III. कृषकों द्वारा समिति के माध्यम से चीनी मिलों को जिस तिथि अनुक्रम में गन्ना आपूर्ति किया गया है, तद्नुक्रम में ही चीनी मिलें गन्ना मूल्य का भुगतान साप्ताहिक/पाक्षिक रूप से सुनिश्चित करेंगी। चीनी मिल द्वारा जिस तिथि तक भुगतान खोला जायेगा उस तिथि तक देय समस्त गन्ना मूल्य की एडवाईज सभी कृषकों/बैंकों/समितियों को समान रूप से भेजी जायेंगी। चीनी मिल द्वारा किसी तिथि तक भुगतान शुरू किये जाने के पश्चात कुछ चुनिंदा कृषकों/बैंकों/समितियों को मनमाने रूप से अलग-अलग तिथियों का भुगतान नहीं दिया जायेगा। अन्यथा ऐसी स्थिति में चीनी मिल के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

IV. चीनी मिल द्वारा जिस तिथि तक कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया जायेगा, समानुपातिक रूप से उस तिथि तक खरीदे गये गन्ने पर देय गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) का भुगतान भी सम्बन्धित गन्ना/चीनी मिल समितियों एवं गन्ना विकास परिषदों को सुनिश्चित किया जायेगा।

V. समस्त गन्ना कृषक सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति समिति कार्यालय में अनुरक्षित रखी जायें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कृषक सदस्यों के आधार नम्बर उनके गन्ना मूल्य सम्बन्धी बैंक खातों में लिंक हैं।

VI. सप्लायर सदस्यों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान मात्र उनके ही बैंक खातों में किया जायेगा, उक्त का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव का होगा।

14. गन्ना आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य का भुगतान अभिलेखों की जांच तथा निरीक्षण :-

I. कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की एक प्रति सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी सूचियों की यथाआवश्यक जांच अपने स्तर से करा सकते हैं तथा जांच रिर्पोट से आयुक्त को भी अवगत करा सकते हैं।

II. कृषकवार सट्टा निर्धारण सूची एवं कलेण्डर जो चीनी मिल को दिया जायेगा उसके आंकड़ों की जांच चीनी मिल द्वारा भी की जा सकती है तथा जांच परिणाम से सहायक गन्ना आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त को अवगत कराया जा सकता है।

III. गन्ना समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्य अपने-अपने कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामों की कृषकवार सट्टा निर्धारण सूचियों की आकस्मिक जांच कर सकते हैं। इस हेतु उन्हें सूचियां सम्बन्धित समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। जांच के दौरान विभागीय अधिकारी भी साथ में उपस्थित रहेंगे।

IV. 2000 कुन्तल से अधिक के सट्टों की शतप्रतिशत जांच सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा की जाएगी तथा जांच रिर्पोट संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

V. सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सहायक गन्ना आयुक्त प्रत्येक पक्ष में एक बार गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान सम्बन्धी अभिलेखों की जांच अवश्य करेंगे तथा जांच प्रत्यावेदनों द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को समय-समय पर अवगत कराते रहेगें। जांच में पायी गयी त्रुटियों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित करायेंगे।

VI. गन्ने का सट्टा, कलेण्डरिंग, आपूर्ति व्यवस्था, निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा हेतु समितियों एवं चीनी मिलों का आकस्मिक निरीक्षण आयुक्त के स्तर से नियुक्त अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर किया जायेगा।

VII. सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना/चीनी मिल समिति का यह दायित्व होगा कि जांच के समय वांछित अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे एवं उनके द्वारा इंगित कमियों का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे।

15. गन्ना क्रय केन्द्रों में तौल लिपिकों की तैनाती :-

I. चीनी मिलों को आवंटित गन्ना क्रय केन्द्रों में चीनी मिलों के तौल लिपिकों की तैनाती एवं तौल हेतु लाईसेन्स निर्गत किये जाने की प्रक्रिया उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के अध्याय 15 के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित उप जिलाधिकारी से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त एवं सम्बन्धित चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक की उपस्थिति में प्रत्येक समिति अन्तर्गत लॉटरी पद्धति से की जायेगी।

II. तौल लिपिकों की तैनाती पाक्षिक रूप से की जायेगी। पक्ष समाप्त हो जाने के उपरान्त नियमतः लॉटरी पद्धति का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत समिति अन्तर्गत अन्य क्रय केन्द्रों में स्थानान्तरण किया जायेगा।

III. एक तौल लिपिक को दो अलग-अलग गन्ना समितियों के क्रय केन्द्र आवंटित नहीं किये जायेंगे।

IV. एक तौल लिपिक को सम्पूर्ण सत्रावधि में एक क्रय केन्द्र तीन बार से अधिक आवंटित नहीं किया जायेगा।

V. यदि किसी चीनी मिल के पास कार्मिकों की कमी है तो उक्त के दृष्टिगत कार्मिकों की संख्या एव आवंटित क्रय केन्द्रों की संख्या के अनुपात के आधार पर निकटवर्ती तथा एक ही समिति के क्रय केन्द्र आवंटित किये जायेंगे।

VI. जिलाधिकारी स्तर से तौल लिपिकों को विधिवत लाईसेन्स निर्गत कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त का होगा।

VII. तौल लिपिकों को क्रय केन्द्रों के आवंटन तथा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्तर से उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के अध्याय 15 के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कराये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव, चीनी मिल के मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक तथा सहायक गन्ना आयुक्त का होगा।

VIII. सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक तथा सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा प्रत्येक पक्ष में एक बार क्रय केन्द्रों की जांच अवश्य की जायेगी तथा क्रय केन्द्रों की जांच/निरीक्षण प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सहायक चीनी आयुक्त, सहायक गन्ना आयुक्त, जिलाधिकारी तथा आयुक्त को प्रेषित की जायेगी।

IX. क्रय केन्द्रों में तौल कार्य में अनियमितता बरते जाने तथा सट्टा नीति में उल्लेखित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी तौल लिपिकों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

X. आयुक्त के निर्देशानुसार मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा जांच रिर्पोट प्रस्तुत की जायेगी।

16. केन इम्पलीमेन्टेशन कमेटी :-

I. प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र हेतु एक केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी गठित होगी, जिसके अध्यक्ष एवं संयोजक सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त होंगे। सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना समितियों के सभापति एवं सचिव तथा चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/मुख्य गन्ना अधिकारी/मुख्य गन्ना प्रबन्धक/गन्ना प्रबन्धक इस कमेटी के सदस्य होगे। सहायक गन्ना आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिल क्षेत्र की केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकें नियमित रूप से पेराई सत्र की अवधि में प्रत्येक माह की 2 एवं 17 तिथि अथवा उक्त तिथि में कार्यालय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि के आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से होती रहें।

II. सहायक गन्ना आयुक्त/अध्यक्ष, केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी का यह भी दायित्व होगा कि यदि कोई चीनी मिल समानुपातिक ढंग से गन्ने की खरीद न कर रही हो तो केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में समीक्षा करते हुए क्रय केन्द्रवार इण्डेण्ट निर्धारित करेंगे तथा इसका सम्बन्धित चीनी मिल से अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जायेगा। उक्त आदेश का अनुपालन न कराये जाने की दशा में प्रकरण आयुक्त को संदर्भित किया जायेगा, जिस पर नियमान्तर्गत यथोचित निर्णय लेते हुए मुख्यालय स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

III. केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की माह जनवरी के द्वितीय पक्ष की बैठक में इस बात पर समीक्षा की जाये कि ऐसे किसान जिनका गन्ना समाप्ति की ओर है और परता कलेण्डर में पर्चियां काफी मात्रा में अवशेष हैं, आवश्यकतानुसार खड़े गन्ने का सर्वे कराते हुए निर्गत होने वाली पर्चियों की संख्या को कलेण्डर से कम कर दिया जाये, इसके विपरीत स्थिति में बैठक में तदनुसार निर्णय लेकर कार्यवाही की जायेगी।

IV. केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक में गन्ने की उपलब्धता, कृषकों के सट्टे में प्रस्तावित संशोधनों, क्रय केन्द्रों का संचालन, समानुपातिक गन्ना खरीद एवं गन्ना मूल्य भुगतान, कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत पर्ची निर्गमन, गन्ना पेराई की प्रगति, टैगिंग आदेशों का अनुपालन, चीनी बिक्री, समितिवार एवं चीनी मिलवार ऑफर व एग्रीमेन्ट की कार्यवाही, तौल लिपिकों के पाक्षिक लॉटरी पद्धति द्वारा स्थानान्तरण, ऋण वसूली की प्रगति तथा आयुक्त के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन व अन्य आवश्यक सामयिक बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी तथा आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को प्रत्येक माह की 03 तथा 18 तिथि को सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा नियमित रूप से प्रेषित की जायेगी। अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त इसका परीक्षण कर तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे तथा प्रकरण को अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखेंगे, अपवाद संबंधी रिपोर्ट से आयुक्त को अवगत करायेंगे।

V. यदि चीनी मिल द्वारा समानुपातिक गन्ना खरीद एवं समानुपातिक भुगतान नहीं किया जाता है अथवा खरीद/भुगतान मे अनियमिततायें जारी रखी जाती है तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। इस सम्बन्ध में सहायक गन्ना आयुक्त उत्तरदायी होंगे तथा अग्रेत्तर आयुक्त को भी अवगत करायेंगे।

VI. पेराई सत्र के दौरान शुद्ध तौल किये जाने के दृष्टिगत जनपद स्तर पर गठित केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की उपरोक्तानुसार पाक्षिक बैठक में समीक्षा की जायेगी। यदि किसी क्रय केन्द्र/चीनी मिल गेट में तौल से सम्बन्धित गन्ना कृषक की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण सम्बन्धित केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी द्वारा किया जायेगा। केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण न होने की स्थिति में ऐसे प्रकरण जनपद स्तर से तत्काल मुख्यालय स्तर को प्रेषित किये जायेंगे।

17. गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में स्थानीय समस्याओं एवं शिकायतों का निस्तारण :-

I. गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में यदि कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न हो जाने की स्थिति में सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा तुरन्त नियमानुसार निराकरण कराते हुए कृत कार्यवाही से अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त को अवगत कराया जायेगा तथा उनके द्वारा प्रकरण आयुक्त के संज्ञान में लाया जायेगा।

II. गन्ना आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा प्रत्येक समिति क्षेत्र में किसी गन्ना विकास निरीक्षक को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा शिकायतों का निराकरण करके सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं को दूरभाष पर भी अवगत कराया जायेगा।

18. नीतियों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही का दायित्व :-

अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त एवं सहायक चीनी आयुक्त का यह दायित्व होगा कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित समिति/चीनी मिल/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

19. गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय सारणी :-

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की संक्षिप्त समय सारणी एवं उत्तरदायी कर्मचारी एवं अधिकारियों का विवरण **परिशिष्ट-एक** पर अंकित है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए पेराई सत्र 2025-26 के लिये गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति की नीति, उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम संख्या-57 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जारी की जा रही है।

Digitally signed by
Trilok Singh Martolia
Date: 12-09-2025
13:47:35

(त्रिलोक सिंह मर्तोलिया)
आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 1234/८ /तद्दिनांकित :

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, जनपद ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।
5. अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड।
6. संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक, सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी अधिकारी, गन्ना शोध एवं अनुसंधान केन्द्र, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।
9. प्रभारी सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर को इस निर्देश के साथ कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उक्त दिशा-निर्देशों की जानकारी गन्ना कृषकों के मध्य प्रसारित कराई जाये। साथ ही सट्टा नीति प्रत्येक समितियों, परिषदों, चीनी मिलों, जनपद कार्यालयों एवं गन्ना किसान संस्थान के सूचना पट में चस्पा कराई जाये।
10. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून।
11. गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।
12. प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सट्टा नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार गन्ना कृषकों एवं समितियों में कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. नोडल अधिकारी (आई0टी0), मुख्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सट्टा नीति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
14. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, सचिव/विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां एवं सचिव, चीनी मिल समितियां, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

(परिशिष्ट-एक)

गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों की समय-सारणी

क्र0सं0	कार्य का विवरण	पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी
1.	कृषकवार सर्वे एवं सट्टे की सूचियों का ग्रामवार सार्वजनिक प्रदर्शन।	15 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक	सचिव, गन्ना समिति/चीनी मिल समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक
2.	प्री-कलेण्डर का निष्कासन एवं वितरण।	01 अक्टूबर, 2025 से 15 अक्टूबर, 2025 तक	
3.	समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन।	21 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक	
4.	अतिरिक्त सट्टा हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की तिथि	31 दिसम्बर, 2025 तक	सचिव, गन्ना समिति/चीनी मिल समिति
5.	अतिरिक्त सट्टा के प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	31 जनवरी, 2026 तक	
6.	उपज बढ़ोत्तरी हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि	31 अक्टूबर, 2025 तक	सचिव, गन्ना समिति/चीनी मिल समिति
7.	नये सदस्यों की भर्ती।	30 सितम्बर, 2025 तक	
8.	कृषकवार सट्टे की मात्रा का आगणन।	31 अक्टूबर, 2025 तक	सचिव, गन्ना समिति/चीनी मिल समिति, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, चीनी मिल के प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक
9.	अंतिम कलेण्डर की तैयारी तथा बैंकों के माध्यम से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।	चीनी मिल चलने से एक सप्ताह पूर्व	
10.	कृषकों के अंतिम कलेण्डर का ऑनलाईन वितरण।	चीनी मिल चलने से एक सप्ताह पूर्व	
11.	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठक।	प्रत्येक माह की 02 एवं 17 तिथि	सहायक गन्ना आयुक्त
12.	केन इम्प्लीमेन्टेशन कमेटी की बैठकों का ब्यौरा भेजना।	प्रत्येक माह की 03 एवं 18 तिथि	सहायक गन्ना आयुक्त
13.	गन्ना आपूर्ति तथा गन्ना मूल्य भुगतान के अभिलेखों का निरीक्षण।	प्रत्येक पक्ष में एक बार	सहायक गन्ना आयुक्त
14.	गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग आदेशों का निर्गमन।	01 नवम्बर, 2025 तक	
15.	गन्ना मूल्य भुगतान हेतु टैगिंग आदेशों का अनुपालन।	समय-समय पर	
16.	आयुक्त स्तर से नामित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण।	समय-समय पर	समस्त नामित अधिकारी
17.	चीनी मिल चलने/बन्द होने की सूचना संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त, जिलाधिकारी एवं आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग कार्यालय को देना।	चीनी मिल चलने/बन्द होने की तिथि	सम्बन्धित चीनी मिलें, सचिव, गन्ना/चीनी मिल समिति एवं सहायक गन्ना आयुक्त

उपरोक्त कार्यों को अपने अधीनस्थ क्षेत्र में समय से पूर्ण कराने हेतु सहायक गन्ना आयुक्त एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

Digitally signed by
Trilok Singh Martolia
Date: 12-09-2025
16:17:23

(त्रिलोक सिंह मर्तोलिया)
आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

आदेश

पेराई सत्र 2025-26 हेतु कार्यालय पत्र संख्या 1234/सी/ख-क्रय अनुभाग/ग0आ0नी0/2025-26 दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा गन्ना आपूर्ति एवं सट्टा नीति जारी की गई है। निर्गत सट्टा नीति के परिशिष्ट-एक के क्रम संख्या 7 में नये सदस्यों की भर्ती दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के स्थान पर सट्टा नीति के प्रस्तर 2(v) के अनुसार **दिनांक 31 अक्टूबर, 2025** पढ़ा जाये। शेष यथावत रहेगा।

Digitally signed by Chandra Singh Imlal
Date: 18-09-2025 20:49:36

(चन्द्र सिंह इमलाल)
अपर आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
E-mail - commissionercanesugar@gmail.com

पत्रांक : 1256 /सी/ख-क्रय अनुभाग/ग0आ0नी0/2025-26 /दिनांक : 19 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
2. संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक, सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
4. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून।
5. नोडल अधिकारी (आई0टी0), मुख्यालय, काशीपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास परिषदें, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना विकास समितियां, एवं सचिव, चीनी मिल समितियां, उत्तराखण्ड।

अपर आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड